खण्ड – 5 संख्या – 22

बिहार विधान–सभा वाद–वृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

भाग –2

(कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

शनिवार, तिथि 20 सितम्बर, 1986 ई०

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : ठीक है ।

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना एवं उस पर सरकारी वक्तव्य :

बिहार आरक्षी दस्तक 1978 खंड-1 के नियम 840 में परिवर्त्तन :

श्री त्रिभुवन सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार आरक्षी हस्तक, 1978 खंड-1 के नियम 840 में जानबूझकर, वरीय पुलिस पदाधिकारीयों द्वारा रद्दोबदल किया गया, ताकि उनका रुतवा कनीय पुलिस पदाधिकारियों पर बरकरार रह सके । पुलिस मैनुअल अंग्रेजों द्वारा अपना उपनिवेश कायम करने की नीयत से बनाया गया था । आजादी के बाद देश की जानता की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पुलिस मैनुअल में संशोधन एवं सुधार हेतु कई समितियों का गठन किया गया, ताकि इसका पुनरीक्षण किया जा सके । सर्वप्रथम इसका हिन्दी संस्करण 1978 में प्रकाशित हुआ। उक्त हस्तक के नियम 840 (क) में यह प्रावधान था कि निलम्बन का आदेश वही पदाधिकारी दे सकता है, जो संबंधित पंक्ति में नियुक्ति करने के लिए सक्षम है, परन्तु इसकी छपाई के समय जब वरीय आरक्षी अधिकारियों को इस बात का पता चला, तो इनलोगों ने अपनी मर्जी से अपना रुतवा कायम रखने की नीयत से उसमें यह रद्दोबदल कर दिया कि आरक्षी महानिरीक्षक, आरक्षी उप महानिरीक्षक तथा अधीक्षक अपने अधीनस्थ निरीक्षक और इसके नीचे के पंक्ति के किसी भी पुलिस पदाधिकारी को निलम्बित कर सकते हैं, किन्तु निरीक्षक के संबंध में केवल

आरक्षी अधीक्षक को उप-महानिरीक्षक की पूर्व अनुमति अपेक्षित होगी । इस तरह बिहार आरक्षी हस्तक में रद्दोबदल करना जनतंत्र विरोधी और आत्मघाती है । इससे कनीय आरक्षी संवर्ग के पदाधिकारियों में क्षोभ एवं आक्रोश व्याप्त है और यह पुलिस प्रशासन के लिए घातक सिद्ध होगा, इस और हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री त्रिभुवन सिंह, सदस्य विधान-सभा एवं अन्य द्वारा बिहार आरक्षी हस्तक 1986 खंड -1 के नियम 840 में जानबूझकर वरीय पुलिस पदाधिकारियों द्वारा इस उद्देश्य से रद्दोबदल किये जाने का आरोप लगाया गया है कि उनका रुतवा कनीय पदाधिकारियों पर बना रहे ।

इस ध्यानाकर्षण में आरक्षी हस्तक नियम 840 में निहित प्रावधानों को चुनौती दी गयी है तथा ऐसा भी कहा गया है कि नियुक्त पदाधिकारी ही सजा देने के लिए सक्षम पदाधिकारी होते हैं। इस नियम का भी उपरोक्त आरक्षी हस्तक नियम में उल्लंघन किया गया है ।

पुलिस विभाग सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है तथा इसकी कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता के पीछे अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है । इसके जिला इकाई का प्रमुख आरक्षी अधीक्षक कोटि के पदाधिकारी होते हैं जिसके अन्दर आरक्षी उपाधीक्षक से लेकर आरक्षी संवर्ग तक के बहुत सारे पदाधिकारी होते हैं । इसका महत्वपूर्ण कार्य कांडों के अनुसंधान तथा विधि-व्यवस्था के लिए पदास्थापित पुलिस कर्मियों को पूरी तरह एवं प्रभावकारी

ढंग से नियंत्रण में रखा जाना है । इसके लिए आवश्यक समझा गया कि आरक्षी अधीक्षक को आरक्षी हस्तक नियम 840 के अन्तर्गत आरक्षी अवर निरीक्षक कोटि के पदाधिकारी का निलंबन का अधिकार क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात कर सकते हैं । इस नियम में निहित प्रावधान का उद्देश्य यह नहीं रहा है कि कनीय पदाधिकारियों के उपर रौब गालिब किया जाय बल्कि इसका उद्देश्य पुलिस को जानबूझकर गलत काम करने से रोकना रहा है तथा जनता को न्याय दिलाना रहा है । पुलिस विभाग की स्थापना से ही इस प्रकार का नियम अबतक लागू हैं तथा इतने दिनों से चले आ रहे इस नियम में कभी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं महसूस की गयी । इस नियम के दुरुपयोग के भी मामले नहीं के बराबर हैं । इसके साथ यह भी प्रावधान है कि जो भी पदाधिकारी जिस प्राकर की सजा देने के लिए प्राधिकृत किये गये हैं उनके द्वारा दी गयी सजा के विरुद्ध अपील भी होता है, निलंबन के भी मामलों की समीक्षा हर स्तर पर की जाती है तथा वैसे मामले जिसमें कि पदाधिकारी आवश्यक रुप से निलंबित किये जाते हैं उन्हें निलंबन से मुक्त करने का आदेश भी उच्च पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिया जाता है । इस प्राकर यह कहना उचित नहीं है कि आरक्षी हस्तक नियम 840 में दिये गये अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है अथवा उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती है । आरक्षी अधीक्षक को जिले के अपराध नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था के कार्य को अच्छे ढंग, प्रभावी ढंग से सम्पादन के उद्देश्य से इस प्रकार के अधिकारों से विभूषित किया गया है ।

श्री त्रिभुवन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे मूल प्रश्न से हटकर, सिद्धांत रुपक जवाब दिया गया है । मेरे ख्याल में आजादी के बाद इसमें सुधार के लिये विभिन्न समितियां बनीं लेकिन उसके प्रतिवेदन का ख्याल नहीं किया गया है ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : हमने बताया कि जो अभीतक नियम है और वह काफी प्रभावकारी है जबसे पुलिस विभाग की स्थापना है । इसलिये विभिन्न समितियों की रिपोर्ट की अवहेलना की संभावना नहीं है ।

श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस पुलिस हस्तक (मैनुअल) के बारे में कहा गया है, वह विभिन्न समितिया की पांडूलिपी से हटकर छपा दिया गया है । अत: पांडुलिपि से मिलाकर पुलिस हस्तक को सही करने की सरकार कृपा करे ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह : पांड्लिपि में निलंबन का आदेश वहीं अधिकारी दे सकता है जो संबंधित पंक्ति में नियुक्त करने के लिये सक्ष्म है । आरक्षी महानिरीक्षक आरक्षी उप महानिरीक्षक तथा आरक्षी अधीक्षक अपने अधीनस्थ निरीक्षक और उससे नीचे की पंक्ति के किसी भी पुलिस अधिकारी के निलम्बित करन सकते हैं किन्तु निरीक्षक के सम्बन्ध में केवल आरक्षी अधीक्षक को उप महानिरीक्षक (उप महानिरीक्षक) की पूर्व अनुमति अपेक्षित है, इस तरह की बात इनके पुलिस मैनुअल में है । लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन

का जो पांड्लिपि थी, उसे प्रकाशित नहीं कराया गया है, आप उसे देख लें, यह गलत काम हुआ है ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : हम देख लेंगे ।

अध्यक्ष : विभिन्न समितियों का प्रतिवेदन और जो छपकर आया है, उसमें ये विभेद बता रहे हैं पांडुलिपि से ।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, यह तो बुनियादी फर्क है। माननीय सदस्य का कहना है कि इसकी जो पांडुलिपि है उसमें हस्तक में परिवर्त्तन कर दिया गया है, माननीय मंत्री पकड़ने देनेवाले नहीं हैं इसलिए अध्यक्ष महोदय, आप ही इसे देखिए कि इसमे कैसे परिवर्त्तन कर दिया गया ।

अध्यक्ष : आप विश्वास रखिए, जब यह बात उनके सामने आ गयी है कि उसमें डिसक्रिमिनेशन है तो वे निश्चित रुप से उसे हटा देंगे।

श्री रघुनाथ झा : यह डिसक्रिमिनेशन नहीं है, धोखाधड़ी है।

अध्यक्ष : मैं मानता हूँ कि जो यथार्थ है वही छपना चाहिए ।

श्री लालू प्रसाद : जब कोई माननीय सदस्य चुनौती देते हैं तो संबंधित माननीय सदस्य के साथ उस बात की जाँच होती है और आपने कह दिया कि मंत्री महोदय जाँच करेंगे ।

अध्यक्ष : आप विश्वास रखें मेरी जानकारी में बात आ जाने के बाद कोई गड़बड़ी नहीं होगी ।

श्री मुंशीलाल राय : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि आपकी जानकारी

में बात आ जाने के बाद गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मदरसा बोर्ड में और अन्य जगहों में आपकी नजर में मामला जाने के बाद भी गड़बड़ी हुई और हो रही है ....

अध्यक्ष : वहाँ भी सारी बातों की जाँच होगी और जाँच के बाद जो भी न्यायपूर्ण कार्रवाई होगी, वह होगी ।

ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य :

(थ) श्रीमती सदरूण निशा को मकान दिलाने एवं इनके विरुद्ध जिलाधि कारी पर कार्रवाई :

श्री रामजयपाल सिंह यादव : यह ध्यानाकर्षण सूचना मुझे कल ही प्राप्त हुई है और इसमें डी0 एम0 के बारे में भी लिखा हुआ है, तो जबतक डी0 एम0 की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तबतक इसका जवाब देना ठीक नहीं होगा ।

अध्यक्ष : एक महिला है, जो अपने को असहाय महसूस कर रही है, इसकी भावना है कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो मंत्री महोदय, आप व्यक्तिगत रुचि लेकर उस महिला को न्याय दिलाएँ ।

श्री रघुनाथ झा : उस महिला को मकान से नहीं निकालने का आदेश दिया इसके बावजूद उसको न्याय नहीं मिला उसके बाद आप मंत्री जी को न्याय दिलाने कहते हैं, उस महिला को मंत्री महोदय रक्षा करनेवाले नहीं हैं ।

अध्यक्ष : आप देखें कि आपके आदेश का पालन हो जाय ।